UPRN010039682026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं.14 (बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट) कानपुर देहात।

पीठासीन अधिकारी– पीयूष तिवारी(एच.जे.एस.)

J.O. Code– UP 1603

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1538/2026

CNR No– **UPRN010039682026**

मनीष दुबे पुत्र रज्ञनलाल दुबे आयु लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम दपसौरा, थाना चान्दपुर, जिला फतेहपुर, उ०प्र०।

... .अभियुक्त

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कानपुर देहात ।

2–दुल्ली पत्नी रामपाल (वादिनी)

3– पीड़िता पुत्री रामपाल

निवासिनीगण ग्राम मऊनखत, थाना सजेती, कानपुर नगर

4–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सचिव, कानपुर देहात।

5–बाल कल्याण सचिव द्वारा अध्यक्ष कानपुर देहात।

.....विपक्षीगण

मु०अ०सं०–319/2025
धारा–137(2), 87, 115(2),
351(3), 352, 65(1), 61(2)भारतीय न्याय संहिता
व धारा–3/4(2), 16/17 पॉक्सो अधिनियम
थाना–सजेती, कानपुर नगर।

अधिवक्ता अभियुक्त – श्री अनवार अहमद (एड०)।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी सं० 1– श्री अमित सिंह चौहान (विशेष लोक अभियोजक)।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी सं० 2 व 3– आशुतोष पाठक, गीता देवी (एड०)।

दिनांक–29.07.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त मनीष दुबे पुत्र रज्ञनलाल दुबे की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 1538/2026 संबंधित मु०अ०सं०–319/2025 अन्तर्गत धारा–137(2), 87, 115(2), 351(3), 352, 65(1), 61(2)भारतीय न्याय संहिता व धारा–3/4(2), 16/17 पॉक्सो अधिनियम थाना–सजेती, कानपुर नगर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त के पिता/पैरोकार श्री रज्ञन दुबे का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसका कथन है कि वह वाद के तथ्यों से पूर्णतः परिचित है तथा अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है व इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है।

2– संक्षेप में प्रार्थना पत्र समर्थित शपथपत्र में अभियुक्त पक्ष का कथन है कि अभियुक्त निर्दोष है व उसके विरुद्ध झूठे तथ्यों पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। वादिनी मुकदमा द्वारा उपरोक्त मामले की कथित घटना की दिन व दिनांक नही बताया है। अन्दाजे से कुछ महीने मात्र कहा है जिससे घटना पूरी झूठी व बनावटी साबित होती है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट बहुत ही विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मे बलात्कार जैसी या लैंगिक हमला जैसी किसी भी घटना का कोई वर्णन नही है। मुकदमा कायमी की जी०डी० मे वादिनी का अपनी पुत्री के साथ थाने आने का कोई वर्णन नही है जबकि वादिनी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट मे कहा है कि वह आज पुत्री के साथ थाने आयी है, जिससे वादिनी के कथन झूठे होना साबित होते है। पीड़िता ने अपने बयानों मे अभियुक्त द्वारा उसे जबरन साथ ले जाने का कोई कथन नही किया है तथा विवाद किये जाने का भी कोई साक्ष्य नही है। वादिनी मुकदमा व उसके पति द्वारा पीड़िता को तलाश किये जाने का कोई प्रयास नही किया गया और न ही कोई सूचना थाने पर दी गयी। चिकित्सीय परीक्षण आख्या मे पीड़िता के किसी प्रकार की चोट अथवा बलात्कार किये जाने का कोई साक्ष्य नही पाया गया है। पीड़िता ने मारपीट व गाली गलौज करने व पति पत्नी की तरह रहने का झूठा आरोप लगाया है। आक्षेपित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दि० 01.04.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। मामलें के सहअभियुक्त अमन की जमानत दिनांक 13.03.2026 को न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों/आधारों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

3– प्रार्थना पत्र के विरुद्ध मौखिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा आक्षेपित घटना की तिथि पर वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री/प्रकरण की पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया व बादहू अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए बलात्कार का अपराध कारित किया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ गाली गलौज व मारपीट करते हुये उसे जान से मारने की धमकी देकर अपने घर से निकाल दिया गया। आक्षेपित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने के पर्याप्त आधार नहीं है।

4– प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण की वादिनी मुकदमा/पीड़िता को विधिवत नोटिस जारी किया गया था जो प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित आयी। वादिनी मुकदमा द्वारा अभियुक्त के जमानत आवेदन पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया कि दिनांक 29.04.2025 को दिन मे समय लगभग 2:00 बजे वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री पीड़िता को नमन व मनीष दुबे पारिवारिकजनों को जान से मारने की धमकी देकर भगा ले गये थे, तब वादिनी मुकदमा ने थाना सजेती मे प्रार्थना पत्र दिया था। घटना के समय पीड़िता की आयु लगभग 14 वर्ष की थी। अभियुक्त द्वारा पीड़िता को लगभग साढे चार माह तक अपने साथ रखा गया व इस अवधि मे उसके साथ कई बार अलग अलग स्थानों पर ले जाकर बलात्कार किया गया। अभियुक्त द्वारा किये गये बलात्कार से पीड़िता गर्भवती हो गयी थी। पीड़िता ने विवेचनात्मक कार्यवाही मे महिला आरक्षी व न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराये गये बयानों मे आक्षेपित घटना की पुष्टि की है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके द्वारा पीड़िता के विरूद्ध पुनः अपराध करने की सम्भावना है। अतः अभियुक्त का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

5– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसे प्रकरण में झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। पीड़िता के विवेचनात्मक कार्यवाही मे दर्ज कराये गये बयानों मे विरोधाभास है। प्रकरण

की प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई समुचित स्पष्टीकरण पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण मे स्वयं से न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। जमानत दिये जाने की दशा मे उसके न्यायालय से भागने की सम्भावना नही है। सहअभियुक्त की जमानत पूर्व मे न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। ऐसे मे अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण मे जमानत प्राप्त करने का अधिकारी है।

6– इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित किये गये साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता घटना की तिथि पर नाबालिग थी। यह सही है कि पीड़िता ने दौरान विवेचना दिये बयान में आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसे जबरन साथ ले जाने का कथन नहीं किया है परन्तु पीड़िता की अवयस्क आयु के दृष्टिगत यही उपधारणा कायम होती है अभियुक्त द्वारा उसकी सोच को प्रभावित करते हुए उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया। इसके अतिरिक्त पीड़िता का विवेचनात्मक कार्यवाही मे इस बिन्दु पर स्पष्ट बयान आया है कि अभियुक्त ने उसके साथ शादी करते हुये शारीरिक संबंध कायम किये थे तथा बादहू उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना दर्ज कराये गये साक्षीगण के बयानों से आक्षेपित प्रकरण में अभियुक्त की संलिप्तता स्पष्ट होती है। अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है तो अवश्य ही वह साक्षीगण को प्रभावित करने का प्रयास करेगा, ऐसे में उसका जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी विशेष लोक अभियोजक के तर्को का समर्थन करते हुये अतिरिक्त रूप से यह कथन किया गया है कि अभियुक्त विवेचनात्मक कार्यवाही की अवधि मे लगातार फरार रहा था। जब पुलिस द्वारा अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के उददेश्य से उसके विरूद्ध धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कार्यवाही की गयी, तब अभियुक्त द्वारा न्यायालय मे गिरफतारी से बचने हेतु आत्मसमर्पण किया गया था। प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

7– मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना व प्रकरण से संबंधित न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 13/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कानपुर देहात से तलबशुदा विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या 851/2026 संबंधित मु०अ०सं० 319/2025 अन्तर्गत धारा–137(2), 87, 115(2), 351(3), 352, 65(1), 61(2)भारतीय न्याय संहिता व धारा–3/4(2), 16/17 पॉक्सो अधिनियम थाना–सजेती, कानपुर नगर की पत्रावली तथा अभियुक्त के जमानत आवेदन के संबंध में प्रस्तुत की गयी पुलिस आख्या व रिमाण्ड प्रपत्रों का अवलोकन किया।

8– प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर यह आक्षेप लगाया गया है कि उसके द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री, प्रकरण की पीड़िता उम्र लगभग 14 वर्ष, को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया व बादहू उसके साथ शादी करने के उपरान्त शारीरिक संबंध बनाते हुये लैंगिक प्रकृति का अपराध कारित किया गया। अभियुक्त पर यह भी आक्षेप है कि उसके द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट की गयी व उसे गाली गलौज करते हुये घर से निकाल दिया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी।

9– विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या 851/2026 सरकार बनाम मनीष दुबे आदि की पत्रावली पर संलग्न प्रकरण से संबंधित केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त को वादिनी मुकदमा द्वारा तहरीर प्रार्थना पत्र में नामजद करते हुये प्रस्तुत प्रकरण मे अभियोग पंजीकृत कराया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उसमे अभियुक्त द्वारा पीड़िता को कथित रूप से वादिनी मुकदमा के घर से बहला फुसला कर भगा ले जाने की कोई तिथि अंकित नही की गयी है परन्तु उपरोक्त संबंध मे विवेचनात्मक कार्यवाही मे पीड़िता द्वारा महिला आरक्षी व न्यायिक मजिस्ट्रेट के बयान समक्ष दर्ज कराते हुये अभियुक्त के साथ

घर से जाने की तिथि दिनांक 29.04.2025 बतायी गयी है।

10– विवेचक द्वारा केस डायरी मे पर्चा संख्या 1 मे वादिनी मुकदमा का बयान दर्ज किया गया है जिसने विवेचक को यह बताया है कि दिनांक 19.09.2025 की तिथि पर उसकी पुत्री, प्रकरण की पीड़िता, ने उसे घर आकर यह बताया था कि अभियुक्त ने उसको मारापीटा है व जान से मारने की धमकी दी है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा महिला आरक्षी की सहायता से पीड़िता के धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान दर्ज कराये गये है, जिन्हें उसके द्वारा केस डायरी के पर्चा सं० 1 में किता किया गया है। पीड़िता ने महिला आरक्षी के समक्ष दर्ज कराये गये बयान मे यह कथन किया है कि मेरी जन्मतिथि 17.08.2011 है। दिनांक 29.04.2025 को मै मनीष के साथ लगभग दो बजे दिन मे अपने गांव से अनूपुर चौराहे पर आयी, फिर हमीरपुर पार्किंग आयी तथा वहां कुछ देर रूके। इसके बाद मैं व मनीष घाटमपुर से ट्रेन से कानपुर गये और वहां दोनो लोगो गल्ला मण्डी के पास कमरा लेकर रूके। पीड़िता ने बयान मे आगे कथन किया कि रूम पर हम पति पत्नी की तरह रहे। हमने कुष्मांडा देवी मन्दिर घाटमपुर मे शादी की थी। इसके बाद दोनो लोग गोवा गये व इधर उधर रहे। मै मनीष के साथ गोवा से कानपुर जुलाई के महीने मे आयी थी। इसके बाद हम मैट्रो वाले पुल के पास रूम लेकर पति पत्नी की तरह रहते रहे। इसके बाद मनीष ने मुझसे कहा कि उसकी चाची ने यह कहा है कि उसकी दूसरी शादी करा देंगे तथा मनीष के पापा ने भी उसे फोन पर कहा कि इस लडकी को छोड आओ नही तो इसे मार डालेंगे। इसके बाद मनीष ने मुझे मौरंग मण्डी कानपुर नगर से आटो मे बिठा दिया, जहां से मै अकेले घाटमपुर चौराहे आयी। वहां से मैने मनीष को फोन किया तो उसने कहा कि कहीं भी जाओ मुझसे मतलब नही है। मै 19.09.2025 को घर आ गयी थी जिसके बाद हमने थाने जाकर मनीष के विरूद्ध मुकदमा किया था। मनीष ने मुझे मारपीट कर भगा दिया था और कहा था कि चाहे जहां रहो पर हम नही रखेगे। पीड़िता ने अपने इस बयान मे महिला आरक्षी द्वारा पूछे जाने पर यह भी कथन किया कि मनीष ने उसके साथ बलात्कार किया था तथा मारपीट व गाली गलौज भी की थी।

11– पीड़िता के केस डायरी मे उपलब्ध उपरोक्त बयान के अवलोकन से यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि वह घटना की तिथि व समयावधि मे स्वयं का नाबालिग होना बताती है तथा अभियुक्त द्वारा उसके साथ शादी करने व शारीरिक संबंध बनाने का कथन करती है। इसके अतिरिक्त् पीड़िता के उपरोक्त बयान मे अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट करने का भी कथन आया है।

12– विवेचक द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही मे पीड़िता को धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस बयान को उसके द्वारा केस डायरी के पर्चा संख्या 5 मे अवलोकन उपरान्त किता किया गया है। पीड़िता के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराये गये बयान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पीड़िता ने पूछे जाने पर अपनी उम्र 14 वर्ष बतायी है तथा स्वयं का कक्षा 9 तक पढना बताया है। पीड़िता ने इस बयान मे कथन किया है कि मै मनीष से लगभग 8–9 महीने से बात करती थी। दिनांक 29.04.2025 को नमन मुझे बाइक से लेने घर आया तथा मुझे मनीष के पास ले गया जो घर से थोडी दूर इंतजार कर रहा था। इसके बाद हम तीनो पहले हमीरपुर गये तथा वहां कुछ देर रूकने के बाद घाटमपुर गये। उसी दिन हम लोगो ने कुष्मांडा देवी मन्दिर मे शादी कर ली, फिर नमन वापस चला गया तथा मै व मनीष कानपुर चले गये। कानपुर मे हम गल्ला मण्डी के पास कमरा लेकर रूके। फिर हम लोग गोवा चले गये जहां लगभग महीना भर रहे। फिर वापस कानपुर आ गये तथा सब्जी मण्डी के पास कमरा लेकर रहने लगे। फिर मनीष मुझे अपने घर ले गया जहां उसके घर वालों ने हमे नही रखा तो हम लोग वापस कानपुर रहने लगे। मनीष ने मुझे मारपीट कर घर से निकाल दिया। मै गर्भवती हूॅ। मनीष ने मुझसे कहा था कि घर से नही आयी तो मेरे घरवालों को मार देगा इसलिए मै उसके साथ गयी थी। मनीष ने मेरे साथ जबरन बलात्कार किया है व मारपीट

की है।

13– पीड़िता के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराये गये उपरोक्त बयान से भी यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि वह आक्षेपित घटना की तिथि पर अभियुक्त मनीष के साथ घर से जाने के बाद उसके साथ कुष्मांडा मन्दिर मे शादी कर लेने व बादहू उसके साथ पति पत्नी के रूप मे साथ रहने का कथन करती है। इसके अतिरिक्त पीड़िता के इस बयान मे भी उसका यह कथन आया है कि अभियुक्त मनीष द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी थी व धमकी दी गयी थी।

14– विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान विवेचक द्वारा पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाटमपुर,कानपुर नगर की मेडिकल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिससे संबंधित चिकित्सीय परीक्षण आख्या केस डायरी में संलग्न है। पीड़िता द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के समय चिकित्साधिकारी को भी घटना के संबंध मे यही बताया गया था कि वह अभियुक्त मनीष के साथ गयी थी तथा उन दोनो ने कुष्मांडा देवी मन्दिर मे शादी की थी व पति पत्नी की तरह रहने लगे थे तथा इसके कुछ समय बाद मनीष ने उसे यह कहकर घर वापस जाने को कहा था कि अब उसका पीड़िता से कोई मतलब नही है। पीड़िता ने चिकित्सक को भी यह भी बताया था कि अभियुक्त मनीष ने उसके साथ मारपीट व गाली गलौज की थी।

15– प्रकरण मे विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीड़िता द्वारा महिला आरक्षी, न्यायिक मजिस्ट्रेट व चिकित्सीय परीक्षण करने वाली चिकित्सक को दिये बयानो मे उसका यह समान रूप से कथन आया है कि अभियुक्त मनीष द्वारा उसे आक्षेपित घटना की तिथि पर घर से साथ ले जाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये थे व बादहू कुछ समय पत्नी के रूप मे साथ रखने के उपरान्त पीड़िता को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। उपरोक्त के आधार पर यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि विवेचनात्मक कार्यवाही मे पीड़िता द्वारा अपने बयानो मे अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

16– विवेचनात्मक कार्यवाही में विवेचक द्वारा पीड़िता के पिता से उसके विद्यालय का लीविंग प्रमाण पत्र प्राप्त कर, उसे केस डायरी का भाग बनाया गया है, जिसमे दर्ज इन्द्राज की पुष्टि हेतु उसके द्वारा संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य का बयान भी दर्ज किया गया है। पीड़िता के लीविंग प्रमाण पत्र में दर्ज इन्द्राज के अनुसार पीड़िता की विद्यालय अभिलेखों में जन्मतिथि दि० 17.08.2011 दर्ज है, जिसके आधार पर गणना करने पर पीड़िता की आयु आक्षेपित घटना की तिथि पर प्रथम दृष्टया तौर पर 13 वर्ष 8 माह व 12 दिन होना आती है। उपरोक्त के आधार पर यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि पीड़िता आक्षेपित घटना की तिथि व समयावधि मे 14 वर्ष से कम आयु की नाबालिग थी।

17– विवेचनात्मक कार्यवाही मे पीड़िता के द्वारा महिला आरक्षी व न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराये गये बयानों के आधार पर यह प्रथम दृष्टया उपधारणा कायम होती है कि पीड़िता आक्षेपित घटना की तिथि पर अभियुक्त के साथ स्वतः गयी थी तथा उसने अभियुक्त के साथ सहमति से शादी की थी व संबंध बनाये थे परन्तु किसी 14 वर्षीय बालिका को विवाह करने व शारीरिक संबंध बनाने की सहमति देने हेतु प्रथम दृष्टया परिपक्व नही माना जा सकता।

18– प्रस्तुत प्रकरण मे विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन उपरान्त आवेदक/अभियुक्त व सहअभियुक्त नमन के विरूद्ध न्यायालय मे आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। विवेचक द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही मे साक्षीगण गोकुल, बलवान, सोनू, रवी यादव व शिवकुमार के बयान दर्ज किये गये है, जिन साक्षीगण ने भी अपने बयानो मे अभियोजन कथानक का प्रथम दृष्टया समर्थन किया गया है।

19– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि न्यायालय द्वारा सहअभियुक्त नमन की जमानत पूर्व मे स्वीकार की जा चुकी है, जिस आधार पर आवेदक/अभियुक्त भी जमानत पर रिहा किये जाने का अधिकारी है।

मेरे विचार मे विद्वान अधिवक्ता का उपरोक्त तर्क स्वीकारने योग्य नही है क्योंकि आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण का मुख्य अभियुक्त है। सहअभियुक्त नमन पर मुख्यतः यह आक्षेप है कि उसके द्वारा पीड़िता के आक्षेपित घटना की तिथि पर अभियुक्त मनीष दुबे के साथ घर से जाने मे सहयोग किया गया जबकि आवेदक/अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि उसके द्वारा नाबालिग पीड़िता को घटना की तिथि पर साथ ले जाने के उपरान्त उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुये लैंगिक हमला का अपराध कारित किया गया। ऐसे मे यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त का मामला सहअभियुक्त नमन से भिन्न है।

20– इस स्तर पर प्रथम दृष्टया रूप से केस डायरी मे विवेचक द्वारा जो मौखिक साक्षीगण के बयान किता किये गये है व दस्तावेजी प्रपत्र संकलित किये गये है, उनके आधार पर अभियुक्त की आक्षेपित घटना में प्रथम दृष्टया संलिप्तता होना स्पष्ट होती है। प्रथम दृष्टया रूप से आक्षेपित अपराध नाबालिग आयु की पीड़िता/बालिका के विरूद्ध कारित किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व आक्षेपित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में जमानत प्रदान किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त मनीष दुबे पुत्र रज्जनलाल दुबे की ओर से मु०अ०सं० – 319/2025 अन्तर्गत धारा 137(2),87,115(2),351(3),352,65(1),61(2)भारतीय न्याय संहिता व धारा–3/4(2), 16/17 पॉक्सो अधिनियम थाना–सजेती, कानपुर नगर के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 1538/2026 निरस्त किया जाता है।

(पीयूष तिवारी)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.14
(बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट)
कानपुर देहात।
J.O. Code– UP 1603

Digitally signed by PIYUSH TIWARI
Date: 2026.07.30 12:20:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court